न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास अलवर (राज0)

अध्याशाषितः– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस0

ना पत्र सं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
98/21	30.09.2021	28.09.2022

उनवान

सरखां पुत्र छुट्टन जाति मेव निवासी ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढ़बास अलवर।

:–प्रार्थी

बनाम

ज० सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) किशनगढ़बास जिला अलवर।

:–असल अप्रार्थी

मीना पुत्री इब्राहिम पत्नी हक्कू मेव हाल निवासी गोकलपुर तह0 फिरोजपुर हरियाणा

दा पुत्री इब्राहिम पत्नी आसमोहम्मद हाल निवासी नीमखेड़ा तह0 फिरोजपुर हरियाणा

मीना पुत्री इब्राहिम पत्नी खलील मेव हाल निवासी अगोन तह0 फिरोजपुर हरियाणा

ीदा पुत्री इब्राहिम पत्नी रूजदार हाल निवासी खरेटा तहसील मुण्डावर जिला अलवर

रुसीना पुत्री इब्राहिम पत्नी सिरदार मेव हाल नि0 बामनठेडी तह0 फिरोजपुर हरियाणा

ीला पुत्र इब्राहिम पत्नी समसुदीन मेव हाल निवासी बामनठेडी तह0 फिरोजपुर

णा

ीना पुत्री इब्राहिम पत्नी तैय्यब मेव हाल निवासी सिरोली कलां तह0 तिजारा जिला

री बेवा इब्राहिम मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर

:–तर० अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि:–

मिन असल प्रार्थी ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढ़बास का मूल निवासी है। ी खेती की जमीन ग्राम खानपुरमेवान व ग्राम चोरबसई में स्थित है। प्रार्थी को गांव में ा में लोग गूंगा के नाम सके बोलते थे जबकि प्रार्थी का सही नाम असरखां है, इसी प्रार्थी के पिता को भी गांव में लोग छोटा के नाम से पुकारते थे जबकि मेरे पिता का नाम छुट्टन था। गांव में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता को दो नामों से जानते थे।

ग्राम खानपुरमेवान के आ०ख०नं० 1208,1209,1098, 1099, 1100, 1101, 1156, 610, 1252, 1141 में प्रार्थी का सही नाम असरखां पुत्र छुट्टन अंकित हो रहा है। ग्राम चोरबसई की आ०ख०नं० 126, 51 में प्रार्थी का सही नाम असरखां पुत्र छुट्टन जमाबंदी में दर्ज हो रहा है मगर इसी गांव के ख०नं० 134 में प्रार्थी का गलत नाम पुत्र छोटा अंकित हो रहा है जो गलत है जिसे हजफ किया जाकर प्रार्थी का नाम खां पुत्र छुट्टन किया जावे।

ग्राम चोरबसई की जमाबंदी में दो खातों में प्रार्थी का सही नाम दर्ज हो रहा है परंतु ० 134 पर गलत नाम गूंगा पुत्र छोटा दर्ज हो रहा है इस प्रकार गलत इन्द्राज होने र्थी को क्रेडिट कार्ड बनवाने लोन आदि लेने में काफी परेशानी हो रही है। इसी प्रकार के मृतक भाई इब्राहिम का नाम गलत होने के कारण इस खसरा नंबर की विरासत ंतकाल दर्ज नहीं हो पाया है जबकि अन्य सभी नम्बरान का विरासत इन्तकाल तर० र्ा नं० 2 लगा० 9 के पक्ष में स्वीकृत होकर अमल जमाबंदी में हो गया है इस गलत ज के कारण ही विरासत दर्ज नहीं हो पा रही जिससे तर० अप्रार्थीगण को भारी नी हो रही है। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश लाजिम आया है।

बाद तहकीकात प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निम्न प्रकार से स्वीकार किया जावे–

ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढ़बास की हाल जमाबंदी में ख०नं० 134/0.66 में ूंगा पुत्र छोटा को हजफ किया जाकर प्रार्थी का सही नाम असरखां पुत्र छुट्टन दर्ज जावे तथा मून्डा पुत्र छोटा को हजफ किया जाकर इब्राहिम पुत्र छुट्टन दर्ज किया इसी कदर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दुरुस्ती हेतु तहसीलदार किशनगढ़बास ादेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। तथा पटवारी हल्का व तहसीलदार ने रिपोर्ट तलब की पटवारी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकारते हुए प्रार्थी का सही नाम असरखां पुत्र छुटटन , तथा मून्डा पुत्र छोटा को हजफ किया जाकर म पुत्र छुटटन दर्ज किया जाने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न वेजात,आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक–पासबुक, पहचान–पत्र, भामाशाह तथा दस्तावेजात त डीड/हकत्याग दिनांक 2.5.05 व पटवारी हल्का रिपोर्ट व तहसीलदार रिपोर्ट क– 25.08.2022 के अनुसार एवं राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी संवत् 2073–76 के संख्या 173 वाके ग्राम खानपुर–मेवान के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश है किः–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़बास को आदेशित जाता है कि आराजी खसरा नंबर 134/0.66 में दर्ज गूंगा पुत्र छोटा को हजफ किया सही नाम असरखां पुत्र छुट्टन एवं मून्डा पुत्र छोटा को हजफ किया जाकर इब्राहिम ट्टन दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में दरामद हों। निर्णय की प्रति पालना तहसीलदार किशनगढ़बास को भिजवाई जावे। –पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)